सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 332 **फर्जी नन–बैंकिंग कम्पनियों पर लगाम आवश्यक –सिद्दिकी**
20/04/2017

पटना, 20 अप्रैल 2017 ::– सुदूरवर्त्ती ग्रामीण इलाकों से लेकर संभ्रान्त शहरी इलाकों में विभिन्न चिट फंड एवं नन–बैंकिग फाइनेंन्शियल कम्पनियों द्वारा गरीब–गुरबों की गाढ़ी कमाई को लेकर चम्पत होने की कई घटनाऐं अखबारों की सुर्खियाँ बनती रही हैं। इस लूट–खसोट के धंधे में लगे लोगों को लुभावने वादों सुसज्जित कार्यालय खोलकर पहले विश्वास में लेते हैं औ फिर नकली कागज थमाकर चंपत हो जाते हैं। इस मुद्दे पर विगत् बजट सत्र में सदन के समक्ष भी मामला कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लाया गया था। यह अत्यंत ही सोचनीय विषय है इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उक्त बातें राज्य के वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने बुधवार को देर तक आयोजित सचिवालय स्थित अपने सभाकक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

श्री सिद्दिकी ने कहा कि ऐसे जालसाज नन–बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनी के लिए 2002 में बना बी0 पी0 आई0 डी0 एक्ट यथा संशोधित 2013 में व्याप्त लचीलापन का फायदा उठा रहे हैं। हाँलाकि, इस स्रंबंध में बकायदारों का पैसा वापसी में इंकार करने के मामलों का रिव्यू करते हूए माननीय उव्वतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर पैसों की वापसी का निर्देश भी जारी किया है। ताजातरीन सहारा इण्डिया का मामला अभी सुर्खियों में है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निबंधित संस्थाओं के लिए स्थानीय प्रशासन से सम्बद्धता को भी अनिवार्य बनाया जाए, ताकि जमा लेने का अधिकार के साथ ही साथ पैसों की वापसी की गारंटी को प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक जिला में ऐसी कम्पनियों को सूचीबद्ध किया जाए। ऐसी कम्पनियों के क्रिया कलापों पर पैनी नजर रखने के लिए एक कमिटि का गठन किया जाए। संबंधित नियम, एक्ट, अध्यादेश एपं प्रावधानों की प्रति स्थानीय प्रशासन को तत्काल उपलब्ध कराकर आगामी मई माह में एक सघन अभियान चलाया जाए। परिपक्वता की स्थिती में अमूमन ऐसी कम्पनियों द्वारा दोबारा निवेश का दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण ठगी के शिकार भोले भाले लोग प्राथमिकी से कतराते हैं। आवश्यकता

इस बात की है कि सभी जिलों में एक नोडल पदाधिकारी ठगी के शिकार लोगों को गवाह बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराएँ।

श्री सिद्दिकी ने कहा कि बचत एवं साख समितियों के निबंधन एवं क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी की भी आवश्यकता है। ताकि सन् 1935 के सहकारिता अधिनियम एवं मॉडल को–औपरेटिव एक्ट के दुरूपयोग को रोका जा सके। सेबी, आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा जांच, अनुसंधान एवं भुगतान की प्रक्रिया की जटिलता को समाप्त कर पारदर्शी बनाया जाना भी आवश्यक है। इस बैठक में उपस्थित भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एन0 पी0 टोपनों को वित्त मंत्री श्री सिद्दिकी ने प्रशासन एवं राज्य सरकार की ओर से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं पटना के जिलाधिकारी डा0 संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में नियमों की जानकारी आम जनों को देने के लिए प्रभावकारी विज्ञापन को भी आवश्यक बताया।

इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रधान सचिव, वित्त श्री रवि मित्तल, आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई के महानिरीक्षक जे0 एस0 गंगवार, श्री सांवर भारती विशेष सचिव (वित्त विभाग) सुशील कुमार, अपर आरक्षी अधीक्षक, अपराध अनुसंधान इकाई, राजीव कुमार दास संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटि, अनंतशक्ति उप महाप्रबंधक सेवी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

————————————————————